न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी०ऐक्ट), आजमगढ़।
उपस्थितः– विजय कुमार वर्मा–प्रथम, एच०जे०एस,
J O Code No.UP 6503

UPAZ010078892024

<u>प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या–२७/२०२४</u>

सूर्यनाथ सिंह उम्र लग० ७७ साल, पुत्र स्व० अंगनू सिंह, निवासी मुहल्ला मौजा चकशिवराम, पोस्ट सदर, परगना निजामाबाद, तहसील सदर, जिला आजमगढ़।

––––– अपीलार्थी/वादी।

बनाम

1. **अनीता देवी**, उम्र लग० ४२ साल पत्नी लालजी यादव,
2. **ममता देवी,** उम्र लग० ४७ साल पत्नी ब्रह्मदेव यादव,
   निवासिनीगण १ ता २ मुहल्ला रैदोपुर, परगना निजामाबाद, तहसील सदर, जिला आजमगढ़,
3. **विन्देश्वरी उपाध्याय,** उम्र लग० ४६ साल, पुत्र झिन्नू उपाध्याय,
   साकिन मौजा किशुनदासपुर (देवखरी), पोस्ट भंवरनाथ, तहसील सदर, जिला आजमगढ़।
4. **भगवती प्रसाद उपाध्याय**, एडवोकेट, उम्र लग० ७४ साल, पुत्र रामलवट उपाध्याय,
5. **प्रशान्त उपाध्याय,** उम्र लग० ३८ साल, पुत्र भगवती उपाध्याय,
   साकिनान ४ता ५ मौजा नई कालोनी, घोरठ, परगना निजामाबाद, तहसील सदर, जिला आजमगढ़।

––– रेस्पाण्डेंट्स प्रथम पक्ष/प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष।

6. **गिरीशचन्द** उम्र लग० ६५ साल, पुत्र लालता,
7. **अनिल कुमार**, (अवयस्क), पुत्र लालता,
8. **अजय कुमार**, (अवयस्क), पुत्र लालता,
9. **विजय कुमार**, (अवयस्क), पुत्र लालता,
10. **राजेश कुमार,** (अवयस्क), पुत्र लालता,
    साकिनान मौजा चकशिवराम, परगना निजामाबाद, तहसील सदर, जिला आजमगढ़, हाल मुकाम मु० कालीचौरा, शहर आजमगढ़।

––– रेस्पाण्डेंट्स द्वितीय पक्ष/प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष।

11. **रामेश्वरनाथ पाण्डेय**, उम्र लग० ६५ साल, पुत्र जगदीश पाण्डेय,
    साकिनान मौजा चकशिवराम, परगना निजामाबाद, तहसील सदर, जिला आजमगढ़।

––– रेस्पाण्डेंट तृतीय पक्ष/प्रतिवादी तृतीय पक्ष।

12. **चन्द्रभूषण,** उम्र लग० ४७ साल, पुत्र हरिवंश उर्फ हरिबदन,
13. **शान्ती**, उम्र लग० ६९ साल, पत्नी हरिवंश उर्फ हरिबदन,
    साकिनान मौजा चकशिवराम, परगना निजामाबाद, तहसील सदर, जिला आजमगढ़।

–– रेस्पाण्डेंट्स चतुर्थ पक्ष/प्रतिवादीगण चतुर्थ पक्ष।

<u>**निर्णय**</u>

Digitally signed by VIJAY KUMAR VERMA
Date: 2025.07.05 16:12:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

1. यह प्रकीर्ण सिविल अपील, सिविल जज (अ०ख०), शहर, आजमगढ़ द्वारा मूलवाद सं० ५२७/२०२२, सूर्यनाथ बनाम अनिता आदि में पारित आदेश दिनाँकित २०.०७.२०२४ से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/वादी सूर्यनाथ सिंह द्वारा प्रतिवादीगण अनीता देवी आदि के विरूद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष मूलवाद संख्या– ५२७/२०२२ सूर्यनाथ सिंह बनाम अनीता आदि स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया, जिसमें ७ग प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश–३९ नियम १ व २ व धारा– १५१ सी०पी०सी० वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा, मय शपथ पत्र ८ग इस आशय का प्रस्तुत किया कि जमीन नेजाई आराजी नम्बर १० बरकबा ०.०४९०हे० के भूमिधर मालिक व काबिज वादी की मां स्व० महरानी उर्फ महराजी, प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष व तृतीय पक्ष रहते चले आये। विवादित भूमि आराजी नम्बर १० मि० बरकबा ०.०४९०हे० में १/२ अंश का मालिक व काबिज वादी तथा १/४ अंश के मालिक व काबिज प्रतिवादी द्वितीय पक्ष तथा १/४ अंश के मालिक व काबिज प्रतिवादी तृतीय पक्ष है। प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष ने अपना अंश अलग कर उस पर मकान तामीर कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष से विवादित भूमि से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। बगरज रेफा नेजा आईन्दा उन्हें फरीक मुकदमा बनाया गया है। वादी ने अपने अंश के ४५ कड़ी अंश में मकान बना लिया तथा शेष रकबा उत्तर तरफ खाली रहा जिसमें प्रतिवादी तृतीय 'क्ष वादी के साथ काबिज दखील चले आये। वादी व प्रतिवादी तृतीय पक्ष में आपसी तसफिया इस प्रकार हो गया कि वादी के मकान के सटे प्रतिवादी तृतीय पक्ष ने कुछ अंश में अपना मकान बना लिया और शेष रकबा बहरूफ ए, बी, सी, डी हसब नक्शा नजरी जैल वादपत्र वादी के साथ संयुक्त रहता चला आया जिसमें वादी की बरदौर थी व दो कमरे तामीर किये। चूंकि समय के साथ वृद्धावस्था होने पर जानवर पालन बन्द हो गया और वादी उसे सर्वेण्ट क्वार्टर में तब्दील कर दिया जिससे जरूरत अनुसार वादी के कारबरदाज रहते है। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष से विवादित भूमि बहरूफ ए, बी, सी, डी हसब नक्शा नजरी जैल वादपत्र से कभी कोई वास्ता व सरोकार न तो था न है। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष नाजायज तौर से जमीन कब्जा कर उसे बय करने का कारोबार करते है। इधर बीच में वादी की भूमि व तामीर बहरूफ ए, बी, सी, डी पर कब्जा करने की फिराक में है। मना करने पर सुनवा नहीं है। सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है। यदि प्रतिवादी प्रथम पक्ष अपने मकसद बेजा में सफल हो गया तो वादी की अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना है कि जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा सदा सर्वदा के लिए प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को मना कर दिया जाये कि प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष हम वादी साथ प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष के कब्जा दखल उपयोग उपभोग करने तामिरा तसरूफात ऊपर जमीन व तामीर नेजाई बहरूफ ए.बी.सी.डी. बाका आराजी नं० १० हसब नक्शा नजरी जैल वाद पत्र बाका मौजा चक शिवराम परगना निजामाबाद तहसील सदर जनपद आजमगढ़ में कभी किसी तौर से जरिया करने कब्जा या करने बेदखल या करने बय या गिराने निर्माण या करने निर्माण या किसी भी अन्य प्रकार से माना व मुजाहिन न हों।
3. प्रतिवादी सं०३ की तरफ से आपत्ति कागज सं०२४ग२ प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी ने वादपत्र में उल्लिखित विवादित आराजी का भूमिधर मालिक व काबिज होना अपनी माँ स्व० महरानी उर्फ महराजी को होना लिखा है तथा वादपत्र मे अपने पिता का नाम स्व० अंगनू सिंह लिखा है। विवादित जमीन का, वादी ने जो खतौनी पेपर नं०११ग१ तथा खसरा पेपर नं०१२ दाखिल किया है उस पर वादी के माता स्व० महारानी उर्फ महराजी या पिता स्व० अगनू का नाम दर्ज नहीं है। उस पर श्रीमती महरानी देवी पत्नी रामसेवक सिंह साकिन मिर्जापुर तहसील मोहम्मदाबाद का नाम दर्ज है। अदालत को गफलत में रखने के लिये वादी ने कही

भी वादपत्र में अपनी माँ के मायके या ससुराल का पता भी नहीं लिखा है ताकि जालसाजी पकड़ में न आवे। वादी तथा उसके पिता स्व० अगनू सिंह साकिन उचहवाँ परगना बेलाहाबॉस तहसील मेंहनगर जिला आजमगढ़ के मूल निवासी है। वादी का सगा भाई स्व० रामवृक्ष सिंह का परिवार आज भी साकिन उवहुओं परगना बेलहाबॉस तहसील मेंहनगर जनपद आजमगढ़ में निवास करता है। वादी मूल निवासी विवादित मौजे का नहीं है और न तो उसकी माँ ही विवादित मौजे की मूल निवासी थी। वादी राजस्व विभाग में कर्मचारी था। वादी सरकारी कागजात में जालसाजी करने में माहिर था। वादी ने कागजात में हेरा–फेरी तथा अपने चकबन्दी विभाग में कर्मचारी होने का फायदा उठाकर बिला अधिकार प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष के मकान के पूरब गलती तथा उसके पूरब प्रतिवादी नं०९ रामेश्वरनाथ पाण्डेय के मकान के पूरब श्रीमती महारानी पत्नी रामसेवक सिंह उपरोक्त की जमीन व मकान को हड़पा है और बाद में उक्त मकान के उत्तर सरकारी बांध की जमीन में बढ़कर अवैध तामीर भी किया है, जो नक्शा अमीन अदालत से भी स्पष्ट है और श्रीमती महरानी के मकान को नगर पालिका आजमगढ़ के अहलकारान को साजिश में करके अपने नाम से मकान संख्या २२८ दर्ज करवा लिया है। वादी ने मकान नं०२२८ को अवैध रूप से कब्जा किया है। वादी अपने कृत्यों की वजह से कई बार सस्पेन्ड भी रहा चुका है। इस प्रकार वादी अदालत को झांसा देकर प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष के मकान व जमीन को भी हड़पने का असफल प्रयास कर रहा है। इस प्रकार वादी का प्रथम दृष्टया कोई केस नहीं बनता है और वादी क्लीन हैण्ड से वादपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। विवादित जमीन व उस पर तामीर न तो स्व० महरानी उर्फ महराजी अथवा श्रीमती महरानी पत्नी रामसेवक सिंह उपरोक्त की ही है। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष की है। प्रतिवादिनी संख्या १ अनीता व प्रतिवादिनी संख्या २ ममता के मूरिस विवादित मौजे के निवासी थे और प्रतिवादिनी सख्या १ व २ अपने मूरिसों के मकान व जमीन आदि पर काबिज है तथा आवश्यकतानुसार तामीर व मरम्मत आदि बेला सिरकतगैरे करते चली आ रही हैं। विवादित जमीन पर स्थित निर्माण प्रतिवादिनी सख्या १ व २ के नाम से मकान नं०२२६ नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में दर्ज है। विवादित जमीन व उस पर स्थित निर्माण से वादी या उसके मूरिसान या उसके वारिसान तथा श्रीमती महरानी पत्नी रामसेवक सिंह उपरोक्त से कोई वास्ता व तालुक नहीं रहा है और न तो है और न तो बादी कभी विवादित जमीन व मकान में जानवर पालन भी किया है और न तो सर्वेन्ट क्वार्टर ही रहा है। यह कब्जा प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष रहा है। लेहाजा सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नहीं है, बल्कि प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष के पक्ष में है। प्रतिवादिनी नं०१ अनीता ने अपने हिस्से में से आबादी की जमीन तथा उस पर स्थित कोठरी व घिरी हुयी जमीन को बेचना चाहती थी। वादी उसे ५ लाख रुपये में रजिस्ट्रीशुदा बैनामा अपने पक्ष में कराना चाहता था। जो प्रतिवादिनी नं०१ को मंजूर नहीं था। वादी बार–बार धमकी भी देता था कि वह उक्त कमरे व जमीन को किसी अन्य को खरीदने नहीं गा और यदि कोई खरीद भी लेगा तो उसे कब्जा नहीं करने देगा। प्रतिवादिनी न०१ अपने हिस्से में से उपरोक्त आबादी की जमीन व दो कमरे मय बाउन्ड्रीवॉल प्रतिवादी नं०३ विन्देश्वरी उपाध्याय को मुव० १५ लाख रूपये में विक्रय करके काबिज दखील करा दिया। नगरपालिका आजमगढ़ में प्रतिवादिनी नं०१ अनीता द्वारा विक्रीत मकान प्रतिवादी सं०३ विन्देश्वरी उपाध्याय के नाम पर मकान संख्या २२६ ए दर्ज है। जिसका गृह तथा अन्य कर भी प्रतिवादी बिन्देश्वरी उपाध्याय के नाम से है। इस प्रकार आदेश इम्तेनाई न होने से चादी को कोई अपूर्णनीय क्षति भी कारित नहीं होगी। उपरोक्त उल्लिखित कारणों से दरखास्त इम्तेनाई वादी खारिज होने योग्य है।

4. प्रतिवादिनी सं०२ ममता की तरफ से आपत्ति कागज सं०५५ग२ प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि कोई वजह माकूल मंजूरी दरखास्त नहीं है। दावा व प्रार्थना पत्र

अस्थाई निषेधाज्ञा वादी गलत व विरुद्ध कानून है। हरगिज वादी व प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष व प्रतिवादी तृतीय पक्ष विवादित भूमि के मालिक काबिज दाखिल नहीं है। कथन वादी कि विवादित भूमि आ०नं०१० रकबा ०.०४९०हे० वाका मुहल्ला चक शिवराम पोस्ट सदर पर० निजामाबाद तह० सदर जिला आजमगढ़ की भूमि है। सरेही गलत व निराधार। विवादित भूमि प्रतिवादिनीगण प्रथम पक्ष की माता राजकुमार W/० लालबिहारी के मूरिस की मकान, सेहन आबादी की भूमि है। उसके वफात के बाद माता प्रतिवादी प्रथम पक्ष उसकी मालिक काबिज व दाखिल रही व अलबत्ता आवश्यकता उस पर निर्माण करते रही और विवादित भूमि माता प्रतिवादिनी प्रथम पक्ष के नाम से नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में मकान नम्बर २२६ के क्रम में दर्ज है। उनके मरने के बाद विवादित भूमि नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में मकान नम्बर २२६ पर बतौर सेहन मकान आबादी प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष के नाम से दर्ज रहता चला आ रहा है। जिसके आधार पर विवादित भूमि के मालिक काबिज दखील प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष रहते चले आ रहे हैं। हरगिज विवादित भूमि के मालिक काबिज दखील वादी व प्रतिवादीगण। द्वितीय पक्ष व तृतीय पक्ष न कभी थे और न है। वे विवादित भी से लावास्ता व लाताल्लुक रहे और है भी। प्रतिवाद पत्र प्रतिवादिनीगण प्रथम पक्ष के प्रकाश प्रतिवादिनी नं०१ अनीता विवादित आबादी की जमीन व उसमें वाका अपने हिस्से की कोठरी व घिरी हुई जमीन को बेचना चाहती थी। वादी उसे कम दाम में खरीदना चाहता, जो प्रतिवादिनी सं०१ अनीता को मंजूर नहीं रही और प्रतिवादिनी नं०१ उसे वादी को न विक्रय कर प्रतिवादी सं०३ विन्देश्वरी उपाध्याय को विक्रय किया। लेहाजा उसी रंजिशवश वादी ने प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष के ऊपर दावा प्रस्तुत किया है। वरन् कोई वजह नहीं है। प्रतिवादपत्र के प्रकाश में वादी राजस्व विभाग का कर्मचारी था और कागजात में हेराफेरी किया व कराया है, जिसकी कोई पाबंदी प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष पर आयत नहीं होगी। सुविधा का संतुलन व तुला का भार प्रतिवादिनी प्रथम पक्ष में है। हरगिज वादी व प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष के हित में सुविधा का संतुलन व तुला का भार नहीं है। विवादित भूमि पर प्रतिवादिनी प्रथम पक्ष के पोख्ता मकान वाउण्ड्री व अन्य आशियाय मौके पर मौजूद है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादिनी प्रथम पक्ष को अपूर्णनीय क्षति कारित है। बल्कि वादी को कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी। उपरोक्त कारणों से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र वादी दिनांकित १८.०४.२०२२ का ७सी२ निरस्त होने योग्य है।

5. प्रतिवादी सं० ५ प्रशान्त उपाध्याय की तरफ से आपत्ति पृथक से १०१ प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि फसली सन् १३८६ लगायत १३९१ अर्थात् इसवी सन् १९७९ से १९८४ विवादित आराजी की खतौनी की सत्यप्रतिलिपि की छायाप्रति प्रतिवादी ने दाखिल किया है। जिस पर श्रीमती महरानी देवी पत्नी रामसेवक सिंह साकिन मिर्जापुर तहसील मोहम्मदाबाद लिखा है। तथा वादी द्वारा दाखिल खतौनी पेपर न0 ११ग १ तथा खसरा पेपर न0 १२ग१ पर भी वही लिखा है। वादी की माँ का नाम कुटुम्ब रजिस्टर ग्राम उचहुँवा मे महराजी, दर्ज है। जो सन् १९९८ मे स्वर्गीय हो चुकी है। वादी द्वारा दाखिल खतौनी मे श्रीमती महराजी देवी उपरोक्त जीवित है वादी ने अन्य कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य नही दाखिल किया है। जिससे साबित हो कि उसकी स्व० महरानी उर्फ महराजी थी। इस प्रकार वाद पत्र में मौखिक कथन के आधार पर अभिलेखीय साक्ष्य को नही नकारा जा सकता है। इस प्रकार वादी का प्रथम दृष्ट्या कोई केस नही है। प्रतिवादी द्वारा दाखिल छायाप्रति रजिस्ट्रीशुदा दस्तावेज बैनामा नगर पालिका मे प्रतिवादी न० ३ विन्देश्वरी उपाध्याय के नाम पर मकान न0 २२६ए तथा उनके नाम से गृहकर, जलकर, आदि विन्देश्वरी द्वारा अपने मे विवादित मकान का अपने पक्ष मे दस्तावेज बैनामा की सत्यप्रतिलिपि दाखिल किया है तथा पुष्टिकृत नक्शा व रिपोर्ट से भी प्रतिवादी P का कब्जा साबित

होता है। अतः सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है। यह कि वादी का न तो कोई प्राइमाफेसी केस है और न तो वह विवादित मकान व जमीन पर काबिज दखील है और न तो वह विवादित जमीन पर स्थित मकान न0 २२६ए अपना बताता है। लेहाजा दरखास्त इम्तनाई न होने से उसकी कोई irreparable होगी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि दरखास्त इम्तनाई द्वारा वादी खारिज किया जाए।

6. प्रतिवादी सं० १,३,४ व ५ की तरफ से संयुक्त रूप से पुनः आपत्ति १२६ग२ प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी ने वाद पत्र के साथ विवादित जमीन के बाबत जो खतौनी पेपर नं० ११ग१ तथा खसरा पेपर नं० १२ग१ दाखिल किया है, जिसपर श्रीमती महरानी देवी/रामसेवक सिंह साकिन मिर्जापुर तहसील मोहम्मदाबाद (वर्तमान जिला मऊ) दर्ज है। पेपर सं० ११ग१ तथा १२ग१ पर वादी की मॉ स्व० महराजी नही लिखा है। वादी ने अपनी मां के पैतृक निवास स्थान तथा अपना पैतृक निवास स्थान नही लिखा है। उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है। वह न्यायालय के समक्ष Clean hand से नही आया है। वादी ने विवादित जमीन के बाबत पेपर संख्या ११ग१ तथा १२ग१ दाखिल किया है तथा उसमें उल्लिखित जमीन को मौजा चक शिवराम में होना बताया है जो न तो वादी के नाम है, न तो वादी की माता महराजी के नाम पर है उस पर श्रीमती महरानी रामसेवक सिंह अंकित है। श्रीमती महरानी देवी के नाम के आगे उर्फ नही लिया है। केवल किसी के नाम के आगे उर्फ लगाकर मनवांछित नाम जोड़ देने से कोई अपना सत्व Title कदापि प्राप्त नही कर सकता है तथा वादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा साक्ष्य ही प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित हो कि विवादित जमीन व कमरों पर वह काबिज दखील है। इसके विपरीत माननीय न्यायालय की आज्ञा से मौके पर दो बार कमीशन का कार्य सम्पन्न हुआ है और दोनो ही बार अमीन अदालत की रिपोर्ट व पुष्टीकृत नक्शा व रिपोर्ट से यह प्रत्यक्ष रूप से जाहिर होता है कि विवादित जमीन व मकान पर वादी कभी काबिज दखील नही रहा है, बल्कि उस पर प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष काबिज दखील रहते चले आ रहे हैं। इस प्रकार वादी का कोई प्रथम दृष्ट्या केस नही बनता है। वादी ने चक शिवराम के बाबत वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी सं० ५ प्रशान्त उपाध्याय नगर पालिका परिषद में अभिलेखों का जॉच पड़ताल करने के बाद मकान सं० २२६ ए मुहल्ला रैदोपुर आजमगढ़ के विक्रेता विन्देश्वरी उपाध्याय के नाम दर्ज होना तथा गृहकर, जलकर आदि की अदायगी आदि से सन्तुष्ट होकर उनके कब्जे का Verifaction के बाद उपरोक्त मकान व जमीन की रजिस्ट्रीकृत बैनामा लेकर बाद बैनामा उस पर काबिज दखील रहते चले आ रहे है तथा अपने बैनामाशुदा मकान व जमीन में आवश्यकतानुसार बिजली, सी.सी.टी.वी. कैमरा आदि अपने नाम से लगवाकर अपने परिवार के साथ काबिज दखील रहता चला आ रहा है। अमीन अदालत की रिपोर्ट पेपर सं० ७९क२ ने भी मौके पर प्रतिवादी सं०५ के काबिज दखील होना पाया गया है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में न होकर प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष कक पक्ष में है। वादी न तो कभी मकान संख्या २२६ व २२६ए मुहल्ला रैदोपुर शहर आजमगढ़ पर काबिज दखील रहा है और न तो वर्तमान समय में है ही। उसने प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को हैरान व परेशान करने की गरज से झूठे व मनगढ़न्त तथ्यों पर दावा दाखिल करके परेशान करने का कृत्य किया है। वादी ने प्रतिवादी सं० ५ के द्वारा क्रय किये गये मकान व जमीन के बाबत न तो कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया है और न तो उक्त मकान संख्या २२६ ए को अपना होना ही कहा है। दरखास्त इम्तेनाई खारिज किये जाने पर उसे किसी प्रकार की कोई क्षति होना सम्भाभ्य नही है। अतएव इस अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित न होने से वादी की कोई अपूर्णनीय क्षति ही होगी। अतः दरखास्त इम्तेनाई द्वारा वादी खारिज किया जावे।

7. वादी की तरफ से अपने कथनों के समर्थन में सूची १०ग१ से उद्धरण खतौनी ११ग१, नकल खसरा १२ग१, सूची ४७ग१ से प्रार्थना पत्र प्रभारी निरीक्षक आजमगढ़ दिनांक २३.०५.२०२३ की प्रतिलिपि ४८ग१/१, समझौता प्रारूप की प्रतिलिपि ४८ग१/२, रिपोर्ट तामिला थानाध्यक्ष की प्रतिलिपि ४८ग१/३ ता ४८ग१/५ रिपोर्ट चालानी की प्रतिलिपि ४९ग१/१, नकल अर्जी दावा की प्रतिलिपि ५०ग१/१ ता ५०ग१/५, सूची ५८ग१ से ट्रेस रिपोर्ट की प्रतिलिपि ५९ग१/१ ता ५९ग१/१०, मकान की प्रतिलिपि ६०ग१/१ ता ६०ग१/३, नकल बयनामा नविस्ता अनिता मौसूमा विन्देश्वरी की छायाप्रति ६१ग१/१ ता ६१ग१/२३, सूची ६८ग१ से उद्धरण खतौनी ७०ग१/१ ता ७०ग१/२, उद्धरण खतौनी ७१ग१/१ ता ७१ग१/२, सूची १०५ग१ से नक्शा की छायाप्रति १०६ग१, १०७ग१, उद्धरण खतौनी १०८ग१/१ ता १०८ग१/२, उद्धरण खतौनी १०९ग१/१ ता १०९ग१/२, उद्धरण खतौनी ११०ग१, उद्धरण खतौनी १११ग१/१ ता १११ग१/२, उद्धरण खतौनी ११२ग१/१ ता १२०ग१/२, नकल खसरा १२१ग१, नगर पालिका द्वारा कर विभाग की प्रतिलिपि १२३ग१/१, नकल निर्णय की प्रतिलिपि १२३ग१/२ ता १२३ग१/९ दाखिल किया गया है।
8. प्रतिवादीगण की तरफ से अपने कथनों के समर्थन में सूची ४२ग१ से दस्तावेज बैनामा की छायाप्रति ४३ग१/१ ता ४३ग१/१४, सूची८७ग१ से खतौनी की प्रतिलिपि ८८ग१, नकल परिवार रजिस्टर की छायाप्रति ८९ग१/१ ता ८९ग१/२, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा कर विभाग की प्रतिलिपि ९०ग२, खतौनी चक शिवराम की प्रतिलिपि ९१ग१, सूची ९२ग१ से मकान की छायाप्रति ९३ग१/१ ता ९३ग१/५, तथा सूची १३१क२ से १३२ग१ खतौनी चक शिवराम पुर फसली वर्ष १३८६ से १३९१ की सत्य प्रतिलिपि, १३३ग१ परिवार रजिस्टर साकिन उचहुवां तहसील मेहनगर जिला आजमगढ़ की प्रमाणित प्रतिलिपि, १३४ग१ नकल नगर पालिका परिषद आजमगढ़ मकान सं० २२८ सूर्यनाथ सिंह, १३५ग१ शब्द प्रतिलिपि दरखास्त श्रीमान् उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा सूर्यनाथ सिंह, सूची १३६ग२ से १३७ग१ उद्धरण खतौनी साकिन ऊंचहुवां, १३८ग१ सत्य प्रतिलिपि नगर पालिका परिषद आजमगढ़ मकान नं० २३५ राजकुमारी w/o लालबिहारी, १३९ग१ नकल नगर पालिका परिषद आजमगढ़ मकान नं० २२६ए रैदोपुर, १४०ग१ नकल गृहकर, जलकर मकान नं० २२६ए सत्य प्रतिलिपि हिब्बानामा, १४८(१४२)ग/१ दाखिल किया गया है।
9. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को ७सी प्रार्थनापत्र एवं उसके विरूद्ध दाखिल आपत्तियों पर सुनवाई कर आलोच्य आदेश दिनांकित–२०.०७.२०२४ पारित करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ७सी२ अंतर्गत आदेश–३९ नियम १ व २ सी०पी०सी० निरस्त कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी/वादी द्वारा यह प्रकीर्ण अपील प्रस्तुत की गयी।
10. जिसमें अपीलार्थी/वादी द्वारा आधार लिया गया है कि वादी अपीलाण्ट का प्रथम दृष्टया मामला मसमूला मिसिल में बखूबी साबित था, किन्तु अदालत मातहत गलत तौर से आदेश पारित करने में कानूनी व वाकियाती भूल किया है। प्रार्थना पत्र ७ग२ हुकुम इन्तानाई के खारिज होने से अपूर्णनीय क्षति हम वादी अपीलाण्ट को है, जो मसमूला मिसिल में बखूबी साबित था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसपर ध्यान न देकर आदेश पारित करने में कानूनी व वाकियातीती गलती किया गया है। पल्ला सहूलियत हम वादी अपीलाण्ट के पक्ष में था, जिसे न मानकर आदेश करने में अदालत मातहत ने कानूनी वाक्याती भूल किया है। वादी अपीलाण्ट की माँ स्व० महरानी उर्फ महराजी आ०नं० १० स्थित मौजा चक शिवराम की संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काबिज साथ रेस्पाण्डेन्ट द्वितीय व तृतीय पक्ष रही, जिनका नाम बराबर खतौनी में दर्ज चला आया और आज दिन भी दर्ज है, जिसका कोई विवाद

नहीं है। इस सम्बन्ध में नकल रजिस्टर मालिकान दाखिल की जा रही है। वादी अपीलाण्ट व प्रतिवादी रेस्पाण्डेन्ट द्वितीय व तृतीय पक्ष में आपसी तस्फिया इस प्रकार हो गया कि, वादी अपीलाण्ट का अंश १/२ व प्रतिवादी रेस्पाण्डेन्ट द्वितीय व तृतीय का अंश १/४ से १/४ हुआ। हम वादी अपीलाण्ट ने आराजी नं0 १० के दक्षिणी भाग में ४५ कड़ी भूमि पर अपना मकान बनाकर ४५ वर्ष से अधिक समय से निर्विवाद रूप से आबाद है, जिसे अक्षर 'P' से नक्शा नजरी वाद पत्र में दर्शाया गया है। मकान वादी अपीलाण्ट के सटे उत्तर प्रतिवादी तृतीय पक्ष ने अपना मकान तामीर किया, उसके उत्तर शेष रकबा ABCD नक्शा नजरी वाद पत्र पर वादी की बरदौर थी व दो कमरे तामीर किए हैं, वादी जानवर पालता था। वृद्धावस्था होने पर जानवर पालना बन्द कर दिया और कमरेजात को बतौर सर्वेण्ट क्र्वाटर प्रयोग करने लगा। प्रतिवादीगण / रेस्पाण्डेन्ट प्रथम पक्ष का आराजी नं0 १० या उसके अगल–बगल के नम्बरान आराजी नं0 ६, ७, ८, ९, १२, ११, ७१ व ७० से कोई वास्ता सरोकार न तो था, न है, न ही उनके नाम कागजात सरकारी में दर्ज हैं। इस सम्बन्ध में वादी अपीलाण्ट ने आराजी नं० ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, ७०, ७१ की खतौनी व नक्शा समक्ष न्यायालय पत्रावली में दाखिल किया तथा उस पर अपने तर्क भी प्रस्तुत किए, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन बिन्दुओं पर ध्यान न देकर वाद के तथ्यों से परे जाकर आदेश पारित करने में तथा प्रार्थना पत्र 712 खारिज करने में कानूनी व वाकियाती गलती किया है। वादी अपीलाण्ट का ग्राम चक शिवराम, परगना निजामाबाद, तहसील सदर, जिला आजमगढ़ की आराजी नं0 १० का भूमिधर, मालिक व काबिज होना साबित था, जिसे प्रतिवादी / रेस्पाण्डेन्ट प्रथम पक्ष ने अपनी आपत्ति २४ग२ में आराजी नं0 १० पर हम वादी अपीलाण्ट का कब्जा माना है तथा अपने प्रतिवाद पत्र में भी उक्त तथ्य को स्वीकार किया है, स्पष्ट रूप से प्रतिवादी / रेस्पाण्डेन्ट द्वारा आराजी नं0 १० के सम्बन्ध में या उसके अगल–बगल के नम्बरान के सम्बन्ध में भी न तो अपना कोई स्वत्व बताया जाता है, न ही अपना कोई अधिकार बताता है, बावजूद इसके अदालत मातहत को सरसरी तौर पर बगैर पत्रावली व उस पर उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किए आदेश पारित करने में कानूनी व वाकियाती गलती किया है। वादी अपीलाण्ट द्वारा प्रतिवादी / रेस्पाण्डेन्ट प्रथम पक्ष से उनके स्वत्व व भूमि के नम्बरान के सम्बन्ध में आदेश 11 जाफ्ता दीवानी के तहत जरिये प्रार्थना पत्र ३२१२ उत्तर आहूत किए गए, किन्तु प्रतिवादी / रेस्पाण्डेन्ट द्वारा उत्तर नहीं दिया गया, जो यह दर्शाता है कि प्रतिवादी/ रेस्पाण्डेन्ट प्रथम पक्ष का विवादित सम्पत्ति आराजी नं0 १० से कभी कोई वास्ता सरोकार नहीं था, न तो है। जहां तक खतौनी में श्रीमती महारानी देवी के नाम के आगे नाम रामसेवक सिंह दर्ज होने का प्रश्न है तो उक्त कालम में ऊपर खातेदार का नाम/पिता, पति, संरक्षक का नाम / निवास दर्ज है, स्पष्ट है कि, श्रीमती महारानी के पिता का नाम रामसेवक है, जो स्पष्ट रूप से खतौनी में दर्ज है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर ध्यान न देकर सतही तौर पर आदेश पारित करने में कानूनी व वाकियाती गलती करते हुए वादी अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र ७ग२ खारिज करने में कानूनी व वाकियाती गलती किया है। इस संबंध में रजिस्टर मालिकान की नकल दाखिल की जा रही है। नक्शा अमीन १५क२ में स्पष्ट रूप से विवादित भूमि में स्थित पोख्ता कमरा व करकट दर्शाया गया है तथा चौहद्दी की चीजों को भी दर्शाया गया है। विवादित भूमि व मकान ABCD के सटे उत्तर मकान अनीता दर्शाया है। पुनः न्यायालय द्वारा नक्शा ७९क २ तैयार कराया गया, जिसमें प्रतिवादी सं0 ०१ व ०२ का मकान विवादित भूमि से उत्तर दर्शित है, जिसमें प्रतिवादी सं० ०२ ने अपना प्रतिवाद पत्र २९ क१ दाखिल करते हुए कथन किया कि, "प्रतिवादी नं0 ०१ अनीता ने अपने हिस्से में से आबादी की जमीन तथा उस पर स्थिति कोठरी व घिरी हुयी जमीन को बेंचना चाहती थी, वादी उसे ५ लाख रुपये में रजिस्ट्रीशुदा

बैनामा अपने पक्ष में कराना चाहता था, जो प्रतिवादी नं0 ०१ को मंजूर नहीं था, वादी बार बार धमकी भी देता था कि वह उक्त कमरे व जमीन को किसी अन्य को खरीदने नहीं देगा, यदि कोई खरीद भी लेगा तो उसे कब्जा नहीं करने देगा, प्रतिवादी नं० १ अपने हिस्से में से उक्त विवादित आबादी की जमीन व दो कमरे मय बाउण्ड्रीवाल प्रतिवादी नं० ३ बिन्देश्वरी उपाध्याय को मु0 १५,००,०००/- (पन्द्रह लाख रुपये) में विक्रय करके काबिज दखिल करा दिया, नगर पालिका आज़मगढ़ में विक्रीत मकान प्रतिवादी सं० 03 बिन्देश्वरी उपाध्याय के नाम पर मकान नं0 २२६ए पर दर्ज है", यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि मकान नं0 226ए मकान नं0 २२६ को विभाजित कर ही दर्ज हुआ है और मकान नं0 २२६ की लम्बाई ६० फीट, चौड़ाई ३० फीट है, जैसा कि नगर पालिका अभिलेख में दर्ज है। नक्शा ७९क२ से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के उत्तर खाली जमीन टिनशेड व नाला है, उसके उत्तर मकान अनीता व मकान ममता दर्ज है, जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान न देकर सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र ७१२ निरस्त करने में कानूनी व वाकियाती गलती किया है। यहां यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आराजी नं0 १० के अगल-बगल कोई भूमि आबादी नहीं है, बल्कि सभी भूमिधरी नम्बरान है, जिनके नक्शें व खतौनी वादी/अपीलाण्ट द्वारा दाखिल किए गए हैं। स्पष्ट है कि विवादित भूमि अनीता की नहीं रही है, न ही तथाकथित अनीता को उसे बेचने का अधिकार था, न ही तथाकथित किसी व्यक्ति को अनीता द्वारा किए बैनामे के आधार पर विवादित भूमि पर कोई अधिकार ही हासिल हो सकता है, जिस पर ध्यान न देकर अदालत मातहत ने आदेश पारित करने में कानूनी व वाकियाती गलती किया है। प्रतिवादी सं० ०३ द्वारा लिए गए बैनामें की प्रति कागज सं० ६१ग१ से स्पष्ट है कि अनीता ने जो भूमि व मकान प्रतिवादी सं० ०३ को बय किया, उसके पूरब मकान ममता पश्चिम गली नगर पालिका, दक्षिण मकान शांति सिंह व उत्तर बांध दर्शाया गया है, जिसकी उत्तर-दक्षिण चौड़ाई २५ फुट ६ इंच व २६ फुट ६ इंच दर्शायी गयी है तथा पूरब-पश्चिम २६ फुट व २० फुट ९८ इंच दर्शायी गयी है,जैसी कोई भूमि मौके पर नहीं है और बयनामा शून्य है, इससे बचने के लिए प्रतिवादी सं० ०३ द्वारा प्रतिवादी सं० ०५ के हक में गलत तौर से बैनामा में उत्तर बांध, दक्षिण मकान शांति देवी, पूरब गली नगर पालिका व पश्चिम मकान ममता भवन सं० २२६ दर्शाया गया, जिसे नक्शा अमीन ७९क२ से मिलान करने पर मकान ममता के पूरब बांध दर्शित है, मकान ममता व बांध के मध्य की भूमि ही तथाकथित बैनामे के अनुसार खाली भूमि है और उसके पूरब कोई निर्माण नहीं है। नक्शा अमीन ने विवादित भूमि के दक्षिण मकान रामेश्वर दर्शित है व वादी द्वारा पट-खडन्जा लगाया गया है। दिशा के सम्बन्ध में न्यायालय अमीन द्वारा मौके पर उभयपक्षों व उनके अधिवक्ताओं की उपस्थिति में कम्पास लगाकर देखा गया तो विवादित मकान वादी के मकान के उत्तर दिशा में मिला, स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं० ०१ अनीता द्वारा प्रतिवादी सं० ०३ के पक्ष में विक्रीत बैनामे की भूमि व प्रतिवादी सं० ०३ द्वारा प्रतिवादी सं० ०५ के पक्ष में अंतरित की गयी भूमि व मकान विवादित मकान व भूमि से भिन्न किसी अन्य स्थान पर है। हरगिज विवादित मकान व भूमि न तो प्रतिवादी सं० ०१ द्वारा बेची गयी, न प्रतिवादी सं० ०३ द्वारा खरीदी गयी और न ही प्रतिवादी सं० ०३ द्वारा अपनी खरीदी गयी भूमि व मकान प्रतिवादी सं० ०५ को विक्रय किया गया। सम्पूर्ण तथ्य पत्रावली में उपलब्ध रहने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो उन पर ध्यान दिया गया, न ही इस सम्बन्ध में वादी अपीलाण्ट के तर्कों को सुना गया, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व दस्तावेजों से परे जाकर आदेश करने में विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि की है। यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य अमीन रिपोर्ट कागज सं0 १५क२, ७८क२ एवं स्थल मानचित्र कागज सं0 १६क२, ७९क२ के विश्लेषण एवं समझने में सरीही चूक की

गयी है। आंकलन अमीन आख्या कागज सं0 ७८क२ हरगिज अतिरिक्त आख्या नहीं है, इसके विपरीत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कागज सं0 ७८क२ को कागज सं० १५क२ का अतिरिक्त एवं पूरक रिपोर्ट मान कर निष्कर्ष निकालने में सरीही चूक किया है। दरअसल बाद दावा दाखिला विवादित स्थल पर जब अमीन अदालत कमीशन तामीला हेतु पहुंचे तो प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष द्वारा विवादित स्थल की पैमाइश करने से रोक दिया गया, जिसके कारण विवादित स्थल का स्केली नक्शा मुरत्तब नहीं हो सका, जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा हाजा में बतौर प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष समायोजित प्रतिवादीगण नं0 ४ व ५ को पुनः कमीशन कराकर स्केली नक्शा मुरत्तब कराने हेतु आदेशित किया गया, किन्तु प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष द्वारा विवादित स्थल की पैमाइश करने से अमीन अदालत को पुनः रोक दिया गया और महज एक साजिशी दूसरी आख्या कागज सं० ७८क२ मुरत्तब करा लिया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेशों की प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष द्वारा बार–बार की जा रही अवहेलना पर मौन साध कर आदेश २६ नियम ९ जा०दि० के अंतर्गत जारी स्थल कमीशन की परिधि का घोर उल्लंघन करते हुए रॉगडुंवर के पक्ष में किये गये साक्ष्य संग्रह पर आधारित होकर विधि विरूद्ध निष्कर्ष निकालते हुए आलोच्य आदेश बहक रॉगडुंवर पारित किया है। अमीन आख्या कागज सं० १५क २ स्पष्ट रूप से आदेश २६ नियम ९ जा०दि० की परिधि में रहते हुए विवादित स्थल के बावत प्रस्तुत की गयी है, जिसमें किसी पक्षकार के पक्ष में कब्जा एवं स्वामित्व के बाबत साक्ष्य संग्रह नहीं किया गया है, जबकि मुकदमें में प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष प्रतिवादी नं० १ ता ३ के अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में विवादित बयनामा दिनांक ०५.११.२०२२ को तहरीर एवं रजिस्टर्ड कराया गया है और उक्तअधिवक्तागण प्रतिवादी नं0 ४ व ५ का विवादित सम्पत्ति पर जरिये अमीन आख्या कागज सं0 ७८क२ विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा मान कर प्रार्थना निषेधाज्ञा विधि विरूद्ध रॉगडुंवर के पक्ष में एवं हम अपीलाण्ट/वादी के विरूद्ध पारित करके सरीही विधि एवं प्रक्रिया के खिलाफ आलोच्य आदेश पारित किया गया है। वादी अपीलाण्ट द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से दर्शाया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरे तौर पर बगैर पत्रावली का परिशीलन व अवलोकन किए तथ्यों को छिपाने के आधार पर वादी को स्वच्छ हाथों से न्यायालय नहीं आने पर प्रार्थना पत्र ७ग२ खारिज करने में भारी भूल की है। वादी अपीलाण्ट लगभग ७७ वर्ष का है, वरिष्ठ नागरिक है, सम्मानित सेवा में रहा है और सदैव उच्च गुणवत्ता से कार्य किया है। प्रतिवादी रेस्पाण्डेन्ट द्वारा तथ्यों से परे जाकर अपने प्रतिवाद पत्र व आपत्ति में वादी अपीलाण्ट के प्रति अनावश्यक कलंकात्मक तुच्छ और तंग करने वाले शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि विधि व संहिता के विपरीत है, संधार्य नहीं है। स्वयं प्रतिवादी भवगती प्रसाद उपाध्याय एडवोकेट अपने अधिवक्ता होने का नाजायज लाभ लेकर अधिवक्ता अधिनियम के विरूद्ध कार्य करने का आदी है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के प्रथम दृष्टया केस मेकआउट होने एवं सुविधा के संतुलन के बाबत कोई स्पीकिंग आर्डर पारित नहीं किया गया है और कब्जे के बाबत सरीही गलत निष्कर्ष निकाला गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश महज इस निष्कर्ष पर आधारित है कि वादी क्लीन हैण्ड होकर न्यायालय नहीं आया। यह निष्कर्ष महज कागजात सरकारी में वादी के पिता के नाम में लिपिकीय त्रुटि 'अगंनू से 'भगंनू' दर्ज हो जाने एवं खतौनी में दर्ज "श्रीमती महरानी देवी/रामशेवक सिंह/मिर्जापुर तह." को पढ़ने एवं समझने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरीही चूक पर आधारित निष्कर्ष है। हम अपीलाण्ट/वादी द्वारा दाखिल लिखित बहस एवं रूलिंग को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न पढ़ा गया और न तो संज्ञान में लिया गया है। उपरोक्त कारणों से अपील स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश निरस्त करते हुए इम्तेनाई ७ग२ स्वीकार किये

जाने योग्य है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश दिनांक २०.०७.२०२४ निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र ७१२ स्वीकार करने की कृपा करें।

11. अपीलार्थी द्वारा प्रकीर्ण अपील के समर्थन में नकल आदेश दिनांक–२०.०७.२०२४ की प्रमाणित प्रति कागज सं०–५ग१, नकल फार्मल आदेश की प्रमाणित प्रति कागज सं० ६ग१ तथा सूची २५ग१ से २६ग१ कापी नकल पालिका जलकर व गृहकर दिनांकित ३१.०८.२०२४, २७ग१ नकल कापी वार्षिक खतौनी खाता सं० ३६ दिनांकित २६.०७.१९८९, २८ग१ नकल कापी दावा मूल वाद सं० ३६५/२०२० अनीता बनाम बिन्देश्वरी, २९ग नकल आदेश दिनांक ११.०२.२०२३ दाखिल की है तथा विचारण न्यायालय की मूल पत्रावली इस प्रकीर्ण सिविल अपील की पत्रावली के साथ संलग्न है।
12. प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेण्टस की तरफ से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
13. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली का परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा लिखित बहस दाखिल की गई।
14. प्रस्तुत प्रकीर्ण अपील अपीलार्थी द्वारा मूलवाद सं०–५२७/२०२२ सूर्यनाथ सिंह बनाम अनीता देवी आदि में ७सी प्रार्थनापत्र पर पारित आदेश दिनांकित–२०.०७.२०२४ के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित–२०.०७.२०२४ के माध्यम से वादी की तरफ से प्रस्तुत ७सी प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश–३९ नियम १ व २ व धारा–१५१ सी०पी०सी० निस्तारित करते हुए वादी का प्रार्थनापत्र ७सी निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह प्रकीर्ण अपील प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने प्राइमाफेसी केश सुविधा का संतुलन व अपूर्तिनीय क्षति की गलत व्याख्या कर कानूनी भूल की है।
15. यह सुस्थापित विधि है कि जो व्यक्ति अस्थाई व्यादेश हेतु आवेदन व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश –३९ नियम–१ व २ के अन्तर्गत प्रस्तुत करता है, ऐसे प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने हेतु उसके द्वारा न्यायालय का समाधान तीन विन्दुओं पर किया जाना अपेक्षित है –

प्रथम –वाद के विचारण में हक संबंधी गम्भीर प्रश्न पर विचार करना और वादी ने जो अनुतोष माँगा है उसको अंततः दिये जाने की सम्भाव्यता ।

द्वितीय –वादी को अपना विधिक हक विचारण में सिद्ध करने हेतु यह आवश्यक है कि विचारण के दौरान उसके विरोधी पक्षकार द्वारा अपूर्तिनीय क्षति पहुंचाये जाने की धमकी दी जा रही है। उस क्षति से बचाने हेतु अन्तरिम व्यादेश का आदेश पारित करना आवश्यक है ।

तृतीय तत्व यह है कि अन्तरिम आदेश से इन्कार करने पर जो वादी को असुविधा होगी वह उससे अधिक होगी जो उस व्यादेश को मंजूर करने से होगी ।

16. विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत व्यादेश पारित करते समय उपर्युक्त तीनों तत्वों पर सम्यक रूप से विचार किया है या नही, इस तथ्य का निर्धारण किया जाना है।
17. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय की पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादपत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रश्नगत संपत्ति आराजी नं० 10 बरकबा 0.0490 हे० में स्थित है, जिसे नक्शा वाद पत्र में अक्षर ए.बी.सी.डी. से दिखाया गया है। आराजी सं० 10 बरकबा 0.0490 हे० के भूमिधर मालिक व काबिज वादी की मॉ स्व० महरानी उर्फ महराजी, प्रतिवादीगण द्वितीयपक्ष व तृतीय पक्ष थे। विवादित भूमि आ०नं० 10 बरकबा 0.0490 हे० का 1/2 अंश का मालिक व काबिज वादी तथा 1/4 अंश के मालिक व काबिज प्रतिवादी द्वितीयपक्ष तथा 1/4 अंश के मालिक व काबिज प्रतिवादीगण तृतीयपक्ष है। प्रतिवादी द्वितीयपक्ष ने अपना

अंश अलग कर उस पर मकान तामीर कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वितीयपक्ष से विवादित भूमि से कोई वास्ता व सरोकार नही है, वादी ने अपने अंश के 45 कड़ी अंश में मकान बना लिया तथा शेष रकबा उत्तर तरफ खाली रहा जिसमें प्रतिवादी तृतीयपक्ष वादी के साथ काबिज दखील चले आये। वादी व प्रतिवादी तृतीय पक्ष में आपसी तसफिया इस प्रकार हो गया कि वादी के मकान के सटे प्रतिवादी तृतीयपक्ष ने कुछ अंश में अपना मकान बना लिया और शेष रकबा बहरूफ ए, बी, सी, डी हसब नक्शा नजरी जैल वादपत्र वादी के साथ संयुक्त रहता चला आया जिसमें वादी की बरदौर थी व दो कमरे तामीर किये। चूँकि समय के साथ बृद्धावस्था होने पर जानवर पालना बन्द हो गया और वादी उसे सर्वेण्ट क्वार्टर में तब्दील कर दिया जिससे जरूरत अनुसार वादी के कारबरदाज रहते है। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष से विवादित भूमि बहरूफ ए,बी,सी,डी हसब नक्शा नजरी जैल वादपत्र से कभी कोई वास्ता व सरोकार न तो था न है। इस प्रकार वादी के अनुसार प्रश्नगत सम्पत्ति का स्वामी व काबिज दाखिल वादी एवं प्रतिवादी तृतीय पक्ष है।

18. प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष द्वारा उपरोक्त तथ्यों से इनकार करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत संपत्ति जिसे नक्शा वाद पत्र में ए.बी.सी.डी. से दर्शाया गया है का स्वामी व काबिज दाखिल वादी व प्रतिवादीगण तृतीय पक्ष नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष है। प्रतिवादी सं० १ से प्रश्नगत संपत्ति को प्रतिवादी सं० ३ ने जरिये पंजीकृत बैनामा क्रय किया तथा जिसे प्रतिवादी सं० ५ को विक्रय किया। जिसपर वर्तमान में प्रतिवादी सं० ५ का कब्जा दखल है।

19. इस संबंध में पक्षगण द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्य को देखा जाये तो वादी द्वारा सूची १०ग से प्रस्तुत किये गये खसरा खतौनी ११ग व १२ग फसली वर्ष १४२४–१४२८ से स्पष्ट है कि आराजी सं० 10 बरकबा 0.0490 हे० रामेश्वरनाथ पाण्डेय श्रीमती कृष्णावती, श्रीमती महारानी देवी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। इस प्रकार उक्त खसरा–खतौनी से वादी के द्वारा वादपत्र/आवेदन ७ग में किये गये कथन की पुष्टि होती है तथा वादी द्वारा ५८ग सूची से प्रस्तुत किये गये ६१ग बैनामा दिनाँकित ०४.१२.२०१९ की फोटो प्रति से स्पष्ट है कि अनीता देवी ने बिन्देश्वरी उपाध्याय को दिनांक ०४.१२.२०१९ को चौहददी देकर दो कमरा मय खाली जमीन का बैनामा किया है। उक्त बयसुदा कमरा व खाली जमीन किस आराजी में स्थित है, बैनामा कागज सं० ६१ग में यह उल्लिखित नहीं है। विक्रेता अनीता देवी को उक्त संपत्ति जरिये हिब्बानामा उनके पिता से प्राप्त हुई है। जैसा कि बैनामा दिनाँकित २४.०४.२०१३ की प्रमाणित प्रतिलिपि १४८ग से स्पष्ट है। उक्त हिब्बानामा में भी मकान व जमीन की चौहददी दी गई है उक्त संपत्ति किस आराजी में है यह उल्लिखित नहीं है। वादी के अभिकथनानुसार उक्त संपत्ति जिसे अनीता ने बिन्देश्वरी को तथा बिन्देश्वरी ने प्रशान्त को बय किया है का स्वामी व काबिज दाखिल वादी है तथा उक्त संपत्ति आराजी सं० 10 मि. बरकबा 0.0490 हे० का भाग है जो वादी की माता श्रीमती महारानी देवी उर्फ महाराजी देवी पुत्री रामसेवक पत्नी अग्रू के नाम थी। प्रतिवादीगण ने इस तथ्य को इस आधार पर इनकार किया है श्रीमती महारानी देवी उर्फ महाराजी देवी वादी की मां नहीं थी, वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर कथन किया है कि वादी द्वारा विवादित जमीन के बाबत पेपर संख्या ११ग१ तथा १२ग१ दाखिल किया है उसमें उल्लिखित जमीन को मौजा चक शिवराम में होना बताया है जो न तो वादी के नाम है, न तो वादी की माता महराजी के नाम पर है उस पर श्रीमती महरानी रामसेवक सिंह अंकित है। श्रीमती महरानी देवी के नाम के आगे उर्फ नही लिया है। केवल किसी के नाम के आगे उर्फ लगाकर मनवांछित नाम जोड़ देने से कोई अपना सत्व Title कदापि प्राप्त नही कर सकता है तथा वादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा साक्ष्य ही प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित हो कि विवादित जमीन व कमरों पर वह काबिज दखील है।

20.इस प्रकार पक्षगण द्वारा किये गये अभिवचन तथा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि पक्षगण के बीच प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में यह विवाद विद्यमान है कि प्रश्नगत संपत्ति जिसे नक्शा वादपत्र में अक्षर ए.बी.सी.डी. से दर्शित किया गया है आराजी सं० 10 मि. बरकबा 0.0490 हे० चक शिवराम का भाग है कि नहीं, उक्त प्रश्नगत संपत्ति पर अन्य सह खातेदारों के साथ वादी की मां महाराजी देवी उर्फ महारानी देवी का नाम अंकित है अथवा नहीं उक्त महाराजी उर्फ महारानी देवी पुत्री रामसेवक है अथवा पत्नी रामसेवक है तथा प्रश्नगत संपत्ति पर वास्तविक रूप से किसका कब्जा है। उक्त सभी प्रश्नों का निस्तारण न्यायालय को साक्ष्य के आधार पर किया जाना है। साक्ष्य आने के उपरान्त ही इस विन्दु पर निष्कर्ष दिया जा सकता है। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष सारवान प्रश्न विद्यमान है, जिसका निर्धारण न्यायालय द्वारा पक्षगण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य के आधार पर किया जाना है।

21. प्रथम दृष्टया मामले का तात्पर्य यह है कि वादी अथवा आवेदक को अपने दावाकृत अधिकार के तथ्य को स्थापित करना चाहिए, तात्पर्य यह है कि न्यायालय का यह समाधान हो जाना चाहिए कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत मामला एक सदभाविक विवाद है और विचारण के लिए एक मजबूत मामला है जिसमें अनवेषण तथा गुणावगुण पर एक विनिश्चय की आवश्यकता है तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों पर वादी का दावाकृत अनुतोष हेतु अधिकारयुक्त होने की सम्भावना है। उपरोक्त दिए गए निष्कर्ष से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में उपरोक्त परिस्थितियां जो प्रथम दृष्टया वाद के स्थापित होने के लिए आवश्यक है विद्यमान है। इस प्रकार अपीलार्थी/वादी का प्रथम दृष्टया वाद स्थापित है। अतः अवर न्यायालय द्वारा इस सन्दर्भ में दिया गया निष्कर्ष विधि संगत नहीं है।

22. जहां तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है तो पक्षगण द्वारा किए गए अभिवचन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत संपत्ति जिसे नक्शा वादपत्र में अक्षर ए.बी.सी.डी. से दर्शित किया गया है पर दोनो ही पक्षों द्वारा काबिज दखिल होना कहा गया है। ऐसी स्थिति में किसी एक के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी किए जाने की स्थिति में दूसरे पक्ष द्वारा विवादित सम्पत्ति को क्षति पहुंचायी जा सकती है, इन परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन प्रश्नगत संपत्ति को संरक्षित किए जाने में है। परन्तु अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर विचार किए बिना निष्कर्ष दिया है जो विधि संगत नहीं है।

23. इस प्रकार अवर न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के सन्दर्भ में दिया गया निष्कर्ष मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा विधि के विपरीत है। वादी का प्रथम दृष्टया वाद साबित है। विवादित सम्पत्ति को वाद के निस्तारण तक संरक्षित किए जाने हेतु विवादित सम्पत्ति के सन्दर्भ में यथा स्थिति कायम रखे जाने हेतु उभयपक्ष को निर्देशित किया जाना न्यायसंगत है। अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

24. उपरोक्त दिये गये निष्कर्ष से स्पष्ट है कि वादी /अपीलार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति साबित है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ नयायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। तदनुसार प्रकीर्ण सिविल अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

25. प्रकीर्ण सिविल अपील सं० २७/२०२४ सूर्यनाथ सिंह बनाम अनीता आदि, सव्यय स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित २०.०७.२०२४ को अपास्त किया जाता है। वादी द्वारा प्रस्तुत ७ग प्रार्थना पत्र

स्वीकार किया जाता है।

26. उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे मूल वाद सं० ५२७/२०२२ सूर्यनाथ बनाम अनीता आदि के अंतिम निस्तारण तक प्रश्नगत संपत्ति जिसे नक्शा वादपत्र में अक्षर ए.बी.सी.डी. से दर्शित किया गया है के संबंध में यथा स्थिति कायम रखें।
27. विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस प्रेषित की जावे। विविध सिविल अपील की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(विजय कुमार वर्मा–प्रथम)
अपर जिला न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०ऐक्ट),
आजमगढ़।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–०५.०७.२०२५

(विजय कुमार वर्मा–प्रथम)
अपर जिला न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०ऐक्ट),
आजमगढ़।